[भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

(आयकर)

नई दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई, 2010

का.आ. जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्या का.आ. 51 (अ), दिनांक 8 जनवरी, 2008 के जरिए औद्योगिक पार्क के लिए स्कीम तैयार और अधिसूचित की है;

और जबकि मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डेवेलपर्स लिमिटेड, जिनका पंजीकृत पता शॉपिंग मॉल काम्प्लैक्स, अर्जुन मार्ग, डीएलएफ, फेस-I, गुड़गांव, हरियाणा-122002 है, में डीएलएफ सिटी, गुड़गांव, हरियाणा के सेक्टर-24,25,25ए में बिल्डिंग संख्या 7, 7ए, 7बी, 8, 9ए,9बी, 10 तथा इनफिनिटी टावर, (ब्लाक-3/टावर-सी) में एक औद्योगिक पार्क विकसित किया है;

अत: अब आयकर नियमावली, 1962 के नियम 18ग के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डेवेलपर्स लिमिटेड को एक उपक्रम के रूप में तथा डीएलएफ सिटी, गुड़गांव, हरियाणा के सेक्टर-24,25,25ए में बिल्डिंग संख्या 7, 7ए, 7बी, 8, 9ए,9बी, 10 तथा इनफिनिटी टावर, (ब्लाक-3/टावर-सी) में उक्त उपक्रम द्वारा विकसित एवं अनुरक्षित तथा प्रचालित की जा रही परियोजना को उक्त खंड के प्रयोजनार्थ औद्योगिक पार्क के रूप में अधिसूचित करती है।

2. उपर्युक्त औद्योगिक पार्क के शुरू होने की तिथि 25 जनवरी, 2010 है ।

3. अधिसूचना अमान्य होगी और मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डेवेलपर्स लिमिटेड, गुड़गांव इस अमान्यता के किसी परिणाम के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा, यदि

(i) इसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन और परवर्ती दस्तावेजों जिनके आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है, में गलत सूचना/ झूठी सूचना हो अथवा कोई महत्वपूर्ण सूचना प्रदान न की गई हो।

(ii) यह ऐसे औद्योगिक पार्क के स्थान के लिए हो जिसके लिए अधिसूचना पहले ही अन्य उपक्रम के नाम जारी की जा चुकी हो।

4. केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना परियोजना की योजना में किसी संशोधन से अथवा भविष्य में अधिक ज्ञान होने अथवा आवेदक द्वारा किसी महत्वपूर्ण तथ्य को उजागर न किए जाने से औद्योगिक पार्क का अनुमोदन अमान्य हो जाएगा।

[अधिसूचना सं. 66/2010 फा.सं. 178/ 81/ 2008- आ.का.नि.-I]

पदम सिंह

(पदम सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार प्रेस,
रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
(राजौरी गार्डन के निकट), नई दिल्ली